फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनेशचन्द्र पिता रामेश्वर लाल ब्राह्मण निवासी बडीसादडी वगैरा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, बडीसादडी वगैरा

प्रकरण संख्या 144/2021 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट्स उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की तामील शेष है। अधिवक्ता अपीलांट्स ने आज भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया। अधिवक्ता अपीलांट्स को कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी उन्होनें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए हैं। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक लगभग 02 वर्ष 05 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए है। जबकि पूर्व पेशी दिनांक 09.05.2024 को अपीलांट्स के अधिवक्ता को न्यायहित में अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर नोटिस प्रोसेस पेश नहीं करने पर कोई अवसर देय नहीं होकर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी उनके द्वारा आज भी नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब नोटिस के अभाव में प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	